

(b) The details of the grants extended by Japan to India since 1980 for increasing food production and the

details of the amount spent are given in the Statement.

Statement

Details of grants extended by Japan to India since 1980-81 for increasing food production

(Figures in Yen Million)

S. No.	Year	Amount of Grant	Amount of Grant spent	Purpose of Grant
1	1980-81	1,000	1,000	Import of Fertilizer (Urea)
2	1985-86	1,200	1,200	Import of Fertilizer (Urea)
3	1986-87	600	600	Import of Fertilizer (Urea)
4	1987-88	600	600	Import of Fertilizer (DAP)
5	1988-89	600	—	Import of Fertilizer (DAP)
TOTAL:		4,000	3,400	

वन क्षेत्र की परिधि से बाहर वृक्षारोपण

1065. श्री अजीत जोगी :

श्री चन्दन शर्मा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करते समय यह शर्त लगाती है कि वन क्षेत्र की परिधि से बाहर वृक्षारोपण के लिये वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश की वन सीमाओं से बाहर स्थित लगभग 23,500 वर्ग किलोमीटर के बंजर क्षेत्र पर जो कि राजस्व अभिलेखों में "बड़े अथवा छोटे

झाड़ के जंगल" के रूप में दर्ज है, वृक्षारोपण के लिए वैकल्पिक भूमि के रूप में विचार किया जायेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय

राज्यमंत्री (श्रीमती सुमति श्रीवास्तव) :

(क) और (ख) जी, हां। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्तावों के सम्बन्ध में क्षतिपूर्क वनरोपण के मानदण्डों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिये)।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार के रिकार्डों में "बड़े अथवा छोटे झाड़ के जंगल" के रूप में दर्ज भूमि को वन भूमि होने के कारण क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए गैर-वन भूमि नहीं माना जा सकता है।

विवरण

क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं:—

(1) जहां गैर-वन भूमि उपलब्ध हो, वहां उपयोग में लाई जाने वाली वन

भूमि के बराबर गैर-वन भूमि पर क्षति-पूरक वनरोपण किया जाए।

(2) जहाँ गैर-वन भूमि उपलब्ध न हो, वहाँ उपयोग में लाए जा रहे वन क्षेत्र से दुगुने अवक्रमित वन क्षेत्र में क्षतिपूरक वनरोपण किया जाए।

(3) जहाँ उपयोग में लाए जा रहे वन क्षेत्र की तुलना में गैर-वन भूमि कम उपलब्ध हो, वहाँ उपलब्ध गैर-वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण के अलावा, उपयोग में लाए जा रहे वन क्षेत्र और उपलब्ध गैर-वन भूमि के बीच अन्तर को दुगुनी अवक्रमित वनभूमि पर पीवरोपण किया जाए। बशर्ते कि क्षतिपूरक वनरोपण के लिए गैर-वन भूमि की अनुपलब्धता को राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाए।

(4) पहाड़ी जिलों में अलग से परिचालित की जाने वाली सूची के अनुसार तथा अन्य जिलों में जिनमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग में वन हैं, उनमें गैर-वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण के लिए जोर नहीं दिया जाएगा और इसकी अनुमति उपयोग में लई गई वन भूमि को दुगुनी अवक्रमित भूमि पर दी जाएगी बशर्ते कि उपयोग में लई जाने वाली वन भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो और उसको उपयोग में लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कोई एक हो :—सम्पर्क मार्गों का निर्माण, पानी से संबंधित छोटे छोटे निर्माण कार्य, लघु मिक्सी सम्बन्धी निर्माण कार्य, स्कूल भवन, औद्योगिक, अस्पताल, सरकार के छोटे-मोटे प्राचीण औद्योगिक श्रेष्ठ अथवा कोई अन्य तदनु रूप कार्य जिनसे उस क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हो।

निम्नलिखित मामलों में क्षतिपूरक वनरोपण पर जोर नहीं दिया जाएगा :—

(क) विद्युत ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के मामले में बशर्ते कि उपयोग में लाया जाने वाला वन क्षेत्र 10 हेक्टेयर से कम हो।

(ख) ऐसे खनन पट्टों के नवीकरण के मामले में जी या तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बनने से पूर्व वन भूमि पर चल रहे थे या जिनका अधिनियम के बन जाने के बाद केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से नवीकरण किया गया था, विस्तृत जिनमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण की पूर्व निर्धारित शर्त नहीं थी।

(ग) एक हेक्टेयर से कम विस्तार वाले छोटे क्षेत्रों में वन भूमि को उपयोग में लाने के मामले में, जब कि विभाग द्वारा इसके लिए विशेष रूप से न कहा जाए।

Madhya Pradesh Government's request for Keeping the Land of Revenue Department out of the Purview of the Forest (Conservation) Act, 1980

1066. SHRI AJIT P. K. JOGI:

SHRI CHANDAN SHARMA:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether any request has been made by the Madhya Pradesh Government to keep 23,500 square kilometre area of land which has been shown in the Revenue record as forest comprising of small shrubs and bushes, outside the purview of the Forest (Conservation) Act, 1980 for the overall development of the State; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI SUMATI ORAON): (a) and (b) No proposal has been received by the Central Government from the Government of Madhya Pradesh to keep 23,500 square kilometers area of Revenue Department out of the purview of the Forest (Conservation) Act, 1980.